

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 390/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 09.10.2026

- विद्यालय से गैस सिलेंडर चोरी तथा कोचिंग सेंटर से साइकिल चोरी की घटनाओं में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।
□ थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क की तत्परता से साइबर ठगी के पीड़ित को ₹23,849.10 की धनराशि वापस कराई गई।

1. थाना कप्तानगंज चोरी की 03 साइकिल एवं 01 गैस सिलेंडर बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण: दिनांक 03.08.2026 को प्राथमिक विद्यालय धनावँखास के रसोईघर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चोरी किए जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 265/2026 धारा 305(e)/331(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान चोरी की साइकिलों के संबंध में भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए तथा अभियुक्त विनोद यादव का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष कप्तानगंज के नेतृत्व में व0उ0नि0 गंगाराम बिंद एवं उ0नि0 अमन तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 09.10.2026 को रात्रि करीब 01:00 बजे चेवता जाने वाली सड़क पर आगे से अभियुक्त विनोद यादव पुत्र स्व0 लालधारी यादव, निवासी ग्राम गोपालपुर, थाना कप्तानगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशानदेही से चोरी की 03 साइकिल एवं 01 खाली गैस सिलेंडर बरामद किया गया। मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया।

2. थाना फूलपुर — साइबर ठगी के पीड़ित को ₹23,849.10 वापस कराए गए

घटना का विवरण: शिकायतकर्ता साहिल पुत्र सरवर, निवासी चकशाह काफी, खुरासो, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई कि अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर उसके भाई के विदेश में फंसे होने की बात कहकर उससे ₹78,000 की साइबर ठगी कर ली। शिकायत संख्या 33104260076829 के आधार पर साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की गई।

धनराशि वापसी का विवरण: साइबर हेल्पडेस्क थाना फूलपुर द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित कर ठगी की गई धनराशि में से ₹23,849.10 को होल्ड कराया गया। माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी के माध्यम से उक्त धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीम:

1. उ0नि0 दयानन्द।
2. म0का0 पूजा पाण्डेय थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

जनपद आजमगढ़

- थाना सिधारी एवं थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा अलग-अलग मामलों में कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।
- थाना सिधारी पुलिस द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।
- थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, किशोरी सकुशल बरामद।

1. थाना सिधारी — 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण: दिनांक 04.10.2026 को वादिनी द्वारा थाना सिधारी पर तहरीर दी गई कि उनकी किशोरी पुत्री के साथ घर के पीछे गली में कुछ व्यक्तियों द्वारा छेड़खानी एवं मारपीट की गई तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 410/2026 धारा 70(2), 138, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस, धारा 5(G)/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना सिधारी पुलिस के उ0नि0 जावेद सिद्दीकी एवं उ0नि0 शिवम द्विवेदी मय हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 08.10.2026 को समय करीब 14:10 बजे झारखंडेय मंदिर, गेलवारा के पास से अभियुक्तगण 1. पियूष निषाद पुत्र स्व0 अविनाश चन्द एवं 2. प्रांजल निषाद पुत्र संतोष निषाद, निवासीगण ग्राम खोजापुर, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई के उपरांत दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। प्रकरण की विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है।

2. थाना रानी की सराय — 01 अभियुक्त गिरफ्तार, किशोरी सकुशल बरामद

घटना का विवरण: दिनांक 08.10.2026 को वादी द्वारा थाना रानी की सराय पर तहरीर दी गई कि अभियुक्त गौतम उर्फ रामचन्द्र द्वारा दिनांक 05.10.2026 की रात्रि करीब 22:00 बजे उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 271/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानी की सराय पुलिस की उ0नि0 श्वेता दुबे मय हमराह पुलिस बल द्वारा दिनांक 08.10.2026 को समय करीब 20:50 बजे चेकपोस्ट तिराहे से अभियुक्त गौतम उर्फ रामचन्द्र पुत्र हरिश्चन्द्र, निवासी ग्राम मित्रसेनपुर, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर संबंधित किशोरी को सकुशल बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमें

थाना सिधारी: उ0नि0 जावेद सिद्दीकी, उ0नि0 शिवम द्विवेदी, का0 अवनीश यादव एवं का0 गिरजेश सिंह।

थाना रानी की सराय: उ0नि0 श्वेता दुबे, म0का0 प्रियंका सिंह एवं रि0का0 दीपक गुप्ता।